188

संख्या–592 / बीस–4 / 2015–1(24) / 2008

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2015

विषय– **कारागार विभाग में सिविल निर्माण कार्यो हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड द्वारा कारागार विभाग के अन्तर्गत नये / चालू निर्माण कार्यो हेतु प्रेषित प्रस्तावों में से निम्न तालिकानुसार इंगित कार्यो को तात्कालिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु उक्त तालिका के कमांक–3 व 4 पर इंगित कार्यो (नये कार्यो) हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार उनके सम्मुख इंगित धनराशियों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त चारो कार्यो हेतु तालिका के अन्तिम कॉलम में दिये गये विवरणानुसार कुल रू0 5.00 करोड़ की धनराशि निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0	योजना / कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	आगणन की धनराशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	जिला कारागार, हरिद्वार में विस्तारीकरण एवं अनुरक्षण के कार्य (चालू कार्य)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	809.18	801.56	430.00	266.69
2	उप कारागार, रूड़की में मुख्य चाहरदीवारी का निर्माण कार्य (चालू कार्य)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	230.84	229.36	180.00	49.36
3	उप कारागार, रूड़की में जेल परिसर की बाउन्ड्रीवाल, बिजीटर शैड एवं गार्ड रूम का निर्माण आदि (नया कार्य)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	201.06	197.41 (सिविल कार्यो हेतु रू0 173.66 लाख तथा अधिप्राप्ति के कार्यो हेतु रू0 23.75 लाख)	–	100.00
4	उप कारागार, रूड़की में द्वितीय गोलाकार बाउन्ड्रीवाल, किचन, 04 अपूर्ण वाच टॉवर का निर्माण तथा बैरक नं0–6 एवं जुवानइल बैरक का अनुरक्षण कार्य (नया कार्य)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	185.84	180.84 (सिविल कार्यो हेतु रू0 125.45 लाख तथा अधिप्राप्ति के कार्यो हेतु रू0 55.39 लाख)	–	83.95
योग						500.00

(रू0 पांच करोड़ मात्र)

(1) राज्य आकस्मिकता निधि से उक्त स्वीकृत की जा रही अग्रिम की धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में नई मांग द्वारा यथासमय कर ली जायेगी। इस हेतु प्रस्ताव महानिरीक्षक कारागार मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों तथा सुसंगत नियमावली के तहत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त किया जायेगा। जहां आवश्यक को सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित समय के अन्तर्गत उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को ऐसी किसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यक हो।

(4) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों तथा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(5) नये कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(6) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(7) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(9) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(12) आगणन गठित करते समय तथा कार्य कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व UTTARAKHAND PROCUREMENT RULES 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) कार्यदायी संस्था के साथ कार्य एक वर्ष की निर्धारित अवधि एवं उक्त लागत में पूर्ण किये जाने का अनुबन्ध (MOU) कर लिया जायेगा। समय से कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

2– क्रमांक–3 व 4 पर इंगित कार्यो की शेष धनराशि कार्य की प्रगति को दृष्टिगत् रखते हुये कार्य की संतोष जनक वित्तीय/भौतिक प्रगति प्राप्त होने तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि के सन्तोषजनक उपयोग हो जाने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक 8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–04–जेलों का निर्माण/भूमि कय–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह स्वीकृति अलॉटमेण्ट आई0डी0 संख्या–S1503990056, दिनांक: 31–03–2015 द्वारा निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

31

संख्या– 43 /XXVII(1)/रा0आ0नि0/2015, दिनांकः 7 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या–592/बीस–4/2015–1(24)/2008 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक कोषागार/लेखा एंव हकदारी, उत्तराखण्ड, 25 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Home (S019)

आवंटन पत्र संख्या - 592/XX-4/2015-1(24)/2008

अनुदान संख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - S1503990056

आवंटन पत्र दिनांक - 31-Mar-2015

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

HOD Name - Inspector General Prisons (2471)

लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

जिसमे 800 - अन्य व्यय

समायोजन होना 00 - --

04 - जेलों का निर्माण/ भूमि क्रय

के -

(अनुदान संख्या - 010)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	50000000	50000000
	0	**50000000**	**50000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 50000000